समाहरणालय,मधेपुरा।
(सामान्य शाखा)
आदेश

पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के ज्ञापांक- 807 दिनांक- 12/04/2012 के द्वारा श्री जयकृष्ण ऋषिदेव ,चौकीदार बीट संख्या- 05/11 अंचल- मुरलीगंज के निलंबन आदेश तथा ज्ञापांक- 1313 दिनांक- 25/06/2012 के द्वारा निर्गत निलंबन मुक्ति आदेश को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधान के तहत क्रमशः इस कार्यालय के पत्रांक- 1078-2 दिनांक- 16/06/2012 एवं पत्रांक- 1461-2 दिनांक- 18/09/2013 के द्वारा इस शर्त के साथ सम्पुष्ट किया गया कि इन निलंबित कर्मियों के विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रपत्र- क में गठित कर विभागीय कार्यवाही हेतु भेजी जाय। पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के पत्रांक- 2024 दिनांक- 29/10/2013 के द्वारा निलंबित चौकीदार के विरूद्ध आरोप प्रपत्र- क में गठित कर प्राप्त हुआ।

इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक- 2007-2 दिनांक- 06/12/13 से श्री जयकृष्ण ऋषिदेव, चौकीदार, बीट संख्या- 05/11 अंचल- मुरलीगंज के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा को संचालन पदाधिकारी तथा थानाध्यक्ष, मुरलीगंज को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त करते हुए तथा उन्हें प्रपत्र- क की तीन प्रतियाँ भेजते हुए तीन माह के अन्दर विभागीय कार्यवाही का संचालन पूर्ण कर अपना अधिगम / जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया।

संचालन पदाधिकारी -सह- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा के द्वारा पत्रांक-1569-2 सपत्र दिनांक- 20/07/2015 से विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरान्त अधिगम / जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री जयकृष्ण ऋषिदेव, चौकीदार, बीट संख्या- 05/11 अंचल- मुरलीगंज के विरुद्ध सरकारी कार्य के प्रति उदासीनता तथा एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही का आरोप प्रमाणित पाया गया। इस क्रम में नियमानुसार इस कार्यालय के ज्ञापांक- 776 दिनांक- 12/05/2016 के द्वारा श्री ऋषिदेव को बैंक जैसे महत्वपूर्ण ड्यूटी में लापरवाही के कारण बैंक में हुयी चोरी के फलस्वरूप उनके विरुद्ध चलायी गई विभागीय कार्यवाही में उनके स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाये जाने के कारण द्वितीय कारणपृच्छा की गई तथा पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर अंचल अधिकारी, मुरलीगंज के माध्यम से स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया। अंचल अधिकारी, मुरलीगंज के पत्रांक- 408-2/सपत्र, दिनांक- 28/07/2016 के द्वारा उक्त पत्र का तामिला प्रेषित किया गया। आरोपी चौकीदार द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा के संबंध में अपना स्पष्टीकरण निर्धारित समय सीमा बीतने के उपरांत भी समर्पित नहीं किया गया।

अतः पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के प्रतिवेदन तथा विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत संचालन पदाधिकारी -सह- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा से प्राप्त अधिगम / अभिलेख के समीक्षोपरांत श्री जयकृष्ण ऋषिदेव चौकीदार बीट संख्या- 05/11 अंचल- मुरलीगंज को सरकारी कार्य के प्रति उदासीनता तथा कर्तव्य के प्रति लापरवाही के आरोप में "बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005" के नियम- 14(iv) के तहत् निम्नलिखित दंड अध्यारोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया समाप्त की जाती है-

(1) तीन वेतनवृद्धियों पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक लगाई जाती है।

(2) निलंबन अवधि के लिए उन्हें मात्र जीवन निर्वहन भत्ता देय होगा।

अंचल अधिकारी, मुरलीगंज को निदेश दिया जाता है कि वे श्री ऋषिदेव क सेवापुस्त में उक्त दंड को अंकित करते हुए अनुवर्ती कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगें।

इसकी सूचना सभी संबंधितों के साथ सभी अंचल अधिकारी / थानाध्यक्ष, मधेपुरा जिला को सूचनापट्ट पर प्रकाशनार्थ भेजी जाय।

ह0/-
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक- 1410 /स्था0,मधेपुरा दिनांक- 08 सितम्बर, 2016

प्रतिलिपि- श्री जयकृष्ण ऋषिदेव, चौकीदार बीट संख्या- 05/11 अंचल- मुरलीगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- अंचल अधिकारी, मुरलीगंज एवं थानाध्यक्ष, मुरलीगंज सहित सभी अंचल अधिकारी / थानाध्यक्ष, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा / कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,मधेपुरा को सूचनार्थ। अनुरोध है कि इसे सभी सम्बंधितों को ईमेल कर दी जाय।

जिलाधिकारी
मधेपुरा।

जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी मधेपुरा